1

RAJYA SABHA

Thursday, the Wti, August, 1994/ 20 Sravana, 1916 (Saka)

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*261. [The Questioner (Shri Ram Nath Govind) was absent. For answer Vide Cu!.. .. Infra.]

Action Fan to give Impetus to Bhopal gay tragedy claims settlement

"262. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that an action plan with the Madhya Pradesh Government has been formulated to give an impetus to the settlement of claims cases of Bhopal gas tragedy; if so, the details thereof;
- (b) whether, after formulation of the action plan, the procedure for settlement of compensation cases of gas victims has been further simplified; and
- (cJ if so, whether six lakh compensation cases of gas victims of Bhopal are likely to be settled in three years; if not, by when all the cases will be settled?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND I FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): एक विवरण

मभा पटल पर रखा जाता है।

विवरग

 की अवधि के लिये कार्य करेगी थाँ र समय-समय पर ऐसी सिफारिकों करेगी जैसी यह भावण्यक समझे । शु गर की सिमिति से प्रभी तक कोई सिफारिका नहीं मिली है।

(क) कल्याण त्रायुक्त ने सूचित किया है कि मुद्रावजा मामलों का निपटान 3 वर्ष में होने की संभावना है वणतें सभी 56 प्रदालकों कार्य करना मुरू कर दें। मामलों के निपटान की स्थिति को सरकार नज्यीक से मानीटर कर रही है और किसी प्रकार की कोई बाधा जो मामलों को निपटाने में कल्याण प्रायुक्त को पेश न्ना रही हों, को दूर करने के लिये कल्याण न्नायुक्त से नियमित संपर्क बनाये हये है।

श्री सुरेश पद्मेरी : माननीय सभापति जी, इस माननीय सदन ने भोपाल गैस सीक डिजास्टर विल पिछले समय पास किया या जिसमें वह प्रावधान था कि भोपाल गैस पीड़ितों के दानों के निपटान के लिये 56 दावा अदालतों का गठन किया जायेगा लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें यह स्वीकारा है कि ग्रभी तक पूरी दावा ग्रदासतों गठन नहीं हुन्नाहै। स्रभी तक जो दाथा ग्रदासतें बहां काम कर रही हैं, वह 38 है भीर पांच अपील न्यायालय वहां काम कर रहे हैं जबकि 11 प्रपील न्यायालयों को वहां काम करना चाहिये। मभी तक जिन प्रकरणों का निपटारा हुम्रा है, उनकी संख्या 84028 है जब 6,39,000 टोटल प्रकरणों का निपटान होना है । यदि इसी गति से पीड़ितों के दावों का निषदारा र्गस होता रहा तो चाभ्रे गैस पीड़ित स्वगं सिधार जायेंगे जब तक उनको क्लेम मिल जायेंगे । मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार। है कि वेलफेयर कमिश्नर न यह कहा है कि तीन वर्ष तक इन मुद्रावजों का निपटारा होने की संभावना है बशर्ते सभी 53 ग्रदालतें कार्य कर रही हों । यह शर्त जोड़ी है। अभी तक इस विल को पास करने के बाद जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि

56 दावा अदालतें प्रारंभ की जायेंगी केवल मध्य प्रदेश में 38 दावा ग्रदालतें प्रारंभ हुई हैं। यह बात कही जा रही है कि मेजीस्ट्रेटस की कमी है। मध्य प्रदेश रारकार ने यह सिफारिक्स की है कि सोनियर एडवोकेटस की सेवायें ली जा सकती हैं, रिटायर्ड जजेज की सेवायें ली जा सकती हैं। इसके लिये श्री एन.एम. कासलीबाल समिति का गठन किया गया था 11-1-94 को...

MR, CHAIRMAN: Will you please sum up your question?

धः सुरेश पद्यौरी : माननीय संभापति जी मैं आपके माध्यम से जलता चाहंगा कि राज्य सरकार ने जैसे कि इच्छा जाहिर की है कि सीतियर एडबोकेटस ग्रीर रिटायर्ड जजेज की सेवार्य को इन शिशेष दाया अदाजतों में शामिल किया जाए, उनकी सेवाम्रों को लिया जाए, क्यां मंत्री जी इस पर जिलार करेंगें ? दूसरा, राज्य सरकार ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि व्यनतम मुझाराजा राशि है वह लम्प-प्रमें लोगों को दे दी जाये ताकि 90 प्रतिशत दादों का निपटारा एकदम हो जाये और जो **धनावश**क विलंब हो रहा है उससे बचा आधे, क्या सरकार इस ह्योर ध्यान

श्री राम लखन सिंह शादवः सभापति महोदय, सरकार का धान बिल्कुल सही हर्षे में इस पर है। अरकार चाहती है कि इसका जल्दी ने जल्दी निपटारा ही जाये । जहां तक 56 श्रदाजतीं का सवाल है, स्वेच्छापूर्वक रिलीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया कि जिसको चाहें, जैसे चाहें रख करके इनका निपटान जल्दी कर लें । 56 में से मात्र 38 कोर्ट कायम है बाकी के लिये यदि उन-को मजिस्ट्रेंट नहीं मिले तो उसके बाद उन्होंने कहा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार सकों की इच्छा से उनको इन-फारमेशन दे दिया गया कि ब्राप चाहे तो अभर मजिस्ट्रेंट नहीं मिलते हैं तो श्राप शात साल का श्रन्छ। रिकाई वाला वकील हो उसको भी रख कर, पावर देकर यह काम देसकते हैं। लेकिन

उनके साफने भी कुछ किउनाईवा हैं। उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गर्रात्रशत लेती पड़ती है, उसके बाद कार्य करो हैं। भ्रमी तक जो जनेत कार्यरत थे उनवें से 6 ट्रांसफर हो गये हैं। उन की भी जाह खाली है। और जो बह चाहते हैं, वह भी ग्रभी नहीं मिले हैं। इस सबको देखते हुथे हम लोग स्का इस पर बहुत ततार है कि अधिक ने अधिक जओं को बहात करके चाहे के जिस इप में हो यह सब निष्याद ह लिये कार्य किया जाये। उन्हों की सहायता के लिए एक सुप्रीय कोर्ट के रिष्टायर्ड अज को भी रखा गया है ताकि उनको सलाह-मस्विरा दें कि कैसे जरुदी से जस्दी इन कामों का नियटारा किया जा सके। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रिडाधर्ड जज है इसलिये उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक हवारे हाई कोर्ट के जब हैं जिनके जिन्ने वैलक्षेत्रर कमिश्तर का काम दिशा गरा है । इस तरह से सरकार की प्रवल इच्छा है शौर हन सब तरह से माननीय सदस्य हैं सेंटीनेंटस के साथ हैं,चाहे जिन तरह से हो इतने अधिक से प्रविक लोगों को एखकर कन से का समय में सब केरोज का निष्यादन कर दिया जाये । यभी जैते इन्होंने स्क्य कहा कि जिस पति से चल रहा है तीन सान के ग्रन्दर हम इसका विष्यादन कर पार्थेंगे । इसके बावजूद भी जितना जल्दी हो यह सारा प्रशेष हम कर रहे हैं ।

श्री लुरेस पद्योरी : पटन प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के पूनर्वास के लिये एक एक्शन प्लान तैयार किया या जिस की श्रवधि 31 मार्च, 1995 को खहम हो रही है और जिन एक्सर प्लान के नहत केन्द्रीय सरकार के द्वारा 163 करीड़ रुपये राज्य नरकार को दिये गये । धर्मा भिर 10वां वित आयोग जो के०सी० पन्त की अध्यक्षता में बध्य प्रदेश में गया था उत्तरे सनकारीस पीड़ितों के पुनर्वात की व्यवस्था के लिये, 1995 के अभी से 1999 तक का जो एक्शन प्लान राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है वह 158 करोड़ रूपये का है। मैं 5

केन्द्रीय सर झर से क्रापके मध्यम से यह जानन। चाउंगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गैस पीडितां के पूनर्वास की व्यवस्था के लिये 158 करोड़ ध्पर्य का एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है, क्या सरकार उसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? साथ ही जो मुद्रावजे की राणि है उस राशि का बैंतरण वह केवल मेडिकल रिपोर्टस के श्राधार पर ही नहीं करेगी क्योंकि यदि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही दिया गया तो सौ में से 94 लोग कम्पेनसंग्रन लेने से वंचित हो जायेंगे जबकि इंडियन काउंसित श्राफ मेरिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट है वह इसके विपरीत है। क्या दावा प्रदालतों में उनके केसेज पर बिजार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ब्राई.सी.एम.ब्रार. की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये जनके दाबा प्रकरण निपटाने पर विचार करेगी?

श्री राम लखन सिंड यादरः महोदय, माननीय रादस्य ने कई प्रथनों की एक ही साथ रख दिया है। मैं इनको सूचित करना पाहला है कि ाहा नक मध्य प्रवेश सरकार का जो एक्शन स्लान बना था वह तीन कामों के लिये बना था-- रि;विलीटेशन के जिये, मेडिकल के लिये, सामाजिक सुधार के लिये लोगों को रोजगार देते के लिये, श्रीर उस बस्त जो प्लान बनः था वह लगभग 158 कराइ रुपये का है...

श्री स्रेश पनौरी : 163 करोड रुपये

श्री शम लखन सिंह यादवः 164 कराइ रागभग होता है। 163 करोड़ **57 लाख रुपयेका है। उसमें 75 फीस**दी केन्द्र सरकार देती है और 25 फीसवी बहां की राज्य सरकारे देती है। इप संबंध में जितने कार्यकियेगयेहें दे सरहिनीय हैं । उसके अनुसार जो भी काम होगा वह हम लोग सब देख रहे हैं और सब करवा रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि दूसरी योजना, एक्सन प्लान में पून: उन्होंने 158 करोड़ रुपये का दिया है, उसके जिन्ने मुझको नोटिस चाहिये । वह क्या प्लान है, क्या है,

हभ क्याकर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक 163 करोड़ रुपये जो दिये गये हैं, उसमें सभी रूपया रूं नहीं हुन्ना है । लेकिन काफी प्रचित्र है। यस्पताल भी बहुत बने हैं, लोगों के रहने के लिये रिहैबिसीटेशन के लिये मकान भी बहुत बने हैं। इसी इरह से सामाजिक कार्यों में उनके कई तरह के रोजगार के लिये, उनके बाल-बच्चों और महिलाओं के लिये सब काम हुये हैं इस तरह से उसमें ग्रभी तक सब सराहनीय काम हुआ हैं।

भीमती बीजा वर्मा : भोपाल गैस ब्रासदै के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार 25 ग्रध्ययन रिपोर्टस, प्रोजेक्ट रिपोर्टस अभी तक तैयार की गयी हैं। उनसे से कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्टस ग्रलग-प्रलग विभागों की भाचुकी हैं। अखबार में **ड**मी खबरों के अनुसार जो रिपोर्टस आ चकी हैं वे धूर्लेखारही हैं, उ**नपर** धल जमी हुई है, कोई एक्शन नहीं है या बीच में, प्राजियट रिपोर्ट पूरी श्राने से पहले उनको रोक दिया गर्या है। तो क्या स्थिति है यह जानना चाहंगी। एक और छोटा-सा सवाल है । उस समय जब घटना घटी थी 1984 में दिसम्बर में ाब गैस पीड़िलों की तीन केंद्रेगरीज बनाई मई थीं एक तो बहुत ज्यादा प्रभावित न्युनतम प्रभावित और कम प्रभावित। तो अब देखा जा रहा है कि इतने साम बाद उसके कुछ प्रानुवांशिक को माउट कम हैं वह अब निकल कर भा रहे हैं, जो उस समय उस कैटेगरी में नहीं मा पाये थे, तो क्या इस कैंटेगरी को फिर से निर्धारित करेंगे? महिलाग्रों पर कौन सी अध्ययन रिपोर्ट आई है योर दावा रिपोर्टी में बच्चों को शामिल तहीं किया गया है ? महिलाओं में देखा गया हैं कि ग्रानुवांशिक जो रिपोर्टस दी गई थीं वह ग्रंभी उस पर एक्शन नहीं हम्रा है और बच्चों में विक्वतियाँ पैदा हो रही हैं, तो क्या सरकार कोई महिलाओं के संबंध में श्रलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और महिलाओं पर कितने श्रध्ययन हुये हैं ? उसमें कितने केसेज का निपटारा हुआ है और कितने केसेज महिलामो संबंधी मभी पेंडिंग है? इसके साथ ही बच्चों के संबंध में वहां के निदेश डा॰ पाठक जो श्रध्ययन कर रहे थे उनका कहना है कि बच्चों की रिपोर्ट तैयार की गई थी जिस पर कोई एक्शन नहीं हुमा है, तो उस पर मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

औ राम लखन सिंह धावव: महोदय, यह पुर्वेटना 1984 के दिसम्बर महीने में घटी भौर एकाएक इस तरह की घटना घटी तो जितना संमव हो सकता है उरुसे ज्यादा बढ़कर वहां की सरकार ने प्रार केन्द्रीय सरकार ने उसी दिन से बहुता से कार्य किये हैं मार हर तरह सं लोगों को रीलीफ देने का काम किया है। उसके डिटेलज में देखा गया है कि करोड़ों उसमें खर्च हो गये हैं। उसके पहले यह सब कपैरीशन देने के पहले पाहे उनको खाने के लिये हो, चाहे उनको भिन्न-भिन्न जगहों में रखने का सवाल हो, चाहै मेडिहेल एड हो, वही में गहीं, उसे प्रदेश के सारे डाक्टर तो हा ही गये, बाहर से भी स्वयंसेवी सस्थाकों ने डाक्टरों को भेजा है। इस तरह से कई हजार धानटरों को बुलाया गया और जितना संभव हो सका, चाहे महिलाओं का हो, सह बच्चों का हो, चाहै बुढ़ों का हो, किसी का भी हो, सबके सबको यथासंभव जो भी इन सका, सब को जांच करके तुपन्त जो हो सकता है रिलीफ दिया गया। जहां अस्पताल नहीं थे तो वहां एक नहीं दर्जनी ग्रस्पताल पिक्लिक के बिल्डिंग्ज में खोल दिये गये हैं कीर तब से यह सब काम हो रहे

श्रीमती कीणा वर्मा : महिलाश्री के बारे रिपोर्ट, माननीय मंत्री जी !

शीरः तस्त्रम सिंह यश्यव ः जहां तक्त महिलाओं का सवाल है तो वह तो सारे केरोज वहां के बाक्टर्ज कर रहे हैं और जो हमारा केन्द्र का मैडियल रिसर्च है जो डाक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है वह भी उभमें पड़ी हुई है। वहां पर जो डाक्टर देखते हैं सबकी जोच कर लेते हैं। श्रगर उससे कोई सतुष्ट नहीं होता तो दिल्ली की जो

मेडिकल सस्या है उसके पास ले जाते हैं । इसके प्राणाचा यह भी उनको छूट दो गई है कि दोनों से जो संतुष्ट नहीं होंगे, धगर कोई ऐसा धगेंटिक डाक्टर हो जो कि उस रोग के बारे में बताये कि यह इन केसेज में नहीं किया गया इसके प्राणाचा यह रोग इनको है, उसको भी नान लिया जाता है। इस तरह से सभी स्रोक्तों से जितना संभव हो सकना है, उनको मेडिकल एड देने को मब तरह से है। महिलाओं के बारे में ग्रलग से कोई सुन्नी ग्रभी नहीं है।

श्रीमती बीचा वर्मा : सर, प्रोजेक्ट रिपोर्टम बीच में रोक दिये गये जां प्रध्यमन कर रहे थे, प्रांकड़े इकट है कर रहे थे उनको बापस बुला निया गया है प्रौर फिर सं केंट्रेगरी निर्धारित करेंगे प्रौर बच्चों को क्या दावा रिपोर्टस में श्रीमल किया गया है, मुखावजे श्रीर मेडिकल एड देने के जिये, उसके बारे में भी बतायें ?

श्रीराध लखन सिंह धावव : कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बीच में नहीं रोका गया है ! जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह चल रहा है । उसमें श्रोर जितना जोड़ने का सवाल होगा, जोड़ा जायेगा । अभी तक हमारे सामनं वह घटाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARA-JAN; Thank you, Sir. Actually, there are eight categories of claimants under the Bhopal gas tragedy — a,b,c,d... total disablement, permanent injury, temporary injury, permanent injury and so on. I would like the hon'ble Minister to give us information about the different categories, and about how many claims have been settled under each category. For instance under the category of temporary injury, how many claims have actually been settled?

Si^r, the (b) part ot my question is this: The Minister has, Unfortunately, not under stood what Veenaji has said, the major problem of the Bhopal gas tragedy is (hat the women who were pregnant at

that time were seriously affected, it had a serious effect upon those women - so- much so that the offsprings who were born after the tragedy would have been affec ted physically, in some form or the other, and thereafter, this will be a iccur- rent genetic problem for the people who have been exposed to the Bhopal gas tragedy. The major lacuna in the Noti fication that was issued in 1985 was that the children who were born with defects, congenital defects, as a result of this tragedy were hot covered under the Notification, It is no use saying that you can go to the hospital and doctors will examine you. The doctors 'ie not going to examine the children who are born later. They are not claimant* yet, So, the question is: What are you doing about those children who are born with defects as a result of fheir mothers having been pregnant during the tragedy and whose genetic defects wiH continue for generations? So, I wo ui J like the Minister io tell, us, cate'gorywise, the number of claims that have been settled. Give U9 those details. And tell its whether they will include in 'the notification this category of children which has been left out.

भी राम लखन सिंह यायवः जहां क्षतिपूर्ति के विषय में दावे की प्रक्त है, मैं श्रापको फिगर्स देदं कि मृत्यु के कुल दावे 15,310 प्राप्त हमे हैं, इनसे में 11,722 का निष्पादन हो चुका है जिसमें से 5,157 सही पाये गेंगे हैं और उनका पेमेंट हो गया है। इनके लिये जो गांगि पास की गयी है, बहुहै 57.81 करोड़। यह हैं मृत्युके दाने। चोट के अने प्राप्त हुये हैं, जैसा उन्होंने कहा 6 लाख, उसमें हमें कोई एतराज नहीं । महोदय, ५ करोड़ ५७ लाख ३०६ दावे समायोजित हुये हैं ग्रभी तक। हमारी फिगर तब तक थी 67,664 झौर लेटेस्ट फिगर कही गयी है करीब 72,002 जिनका कि निष्पादन हो चुका है। इसमें प्रवार्ड की राशि 189 करोड़ **98** लाख पास की गई है। इस तरह से जितने दाने जिस कैंटेगरी में आयो हैं, उन सभी को दिया गया है । अब श्रेणी उनकी भिन्न *मिश* प्रकार की है। उसमें जो राशि देना

हुआ है, वह है मृत्यु के लिये एक तेकर 5 लोख तक, स्थायीय[ा] श्रस्यायी विकलांगता के लिये 50 हजार ्2 लाख ६ क, अस्यधिक गंभीर चोट के लिये 4 लाख तक, मामली चोटों के दावों के लिये 20 हजार तक, परिजनों को हुई क्षति के लिये 15 हजार तक ग्रौर जानवर की क्षति के लिये 10 हजार तक । यह भिन्न-भिन्न कैटेगरी के सवाल के बारे में धापको हमने बताया स्रौर उसके लिये जिनना निष्पादन हमा वह भी मैंने बताया । महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि जो शर्भवती महिलायें थीं या जिनके पेट में बच्चे थे, उनकी क्या हासत रही या महिलाधों को ग्रलग से रोककर देखा गया कि नहीं, इसके ग्रभी मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। मैं इसे पता लगाऊंगा ग्रीर माननीय सदस्या के पास ग्रगर खबर हो तो हमारी मदद करें ताकि इस की स्रोर भी हमारा ध्यान जाये। अगर इस तरह की जानकारी हमारे पास आजायेगी तो वह भी और हम खुद पताल नायेंगे कि इस तरह के केसेज़ दितने हैं ग्रीर कहां हैं ?

श्रीरक्षती रंजन साहुः समापति महोदय, भ्रामी मंत्री महोदय ने बताया कि 56 दावा ग्रदालत जब काम करेंगी तो दावे का निपटारा हो जाएगा। महोदय, मैं केन्द्र सरकार की सराहदा करता हूं कि उन्होंने सिदवाल कमेटी बनाई जोकि एक साल की श्रवधि के लिए बनाई गई, लेकिन इस पूरे एक साल में उसकी एक मीटिंग हुई हैं और अब इसकी सर्वाध समाप्त होने जा रही है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लला बाहुंगा कि उस मीटिंग में कोई निर्णय भी नहीं हुआ। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जातना चार्रगा कि ग्राखिर उनका कब तक और किस ढंग से दाओं का निपटारा करने का कार्यक्रम है? साथ ही एक निश्चित अवधि में इन पूरे दावी का नियटारा हो जाए, इस बारें में क्या कार्यक्रम है, यह भी सदन की बतायें?

श्री राम सखन सिंह यादव: महोषय. मैंने पहले कहा कि दो वर्मेटिया हैं। जहां तक सिदवाल कमेटी का प्रथन है, वह

[श्री राम लखन सिंह बादव]

11

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जन हैं। उनका काम सलाहकार बनना है। वह मीटिंग कर के भाफिसर्स को सलाह देते हैं कि कैसे सष्ट्रलियत से, जल्दी-से-जल्दी इन कामों का **विष्पावन किया जाए। असल में इस संब**ंध में जो काम करने का है ग्रौर जो मेंबर सिदबाल कमेटी में हैं, वह हैं जस्टिम कुरेसी वह भोपाल हाईकोर्ट के जस्टिस हैं मीर उनका काम सभी केसेज को देखकर निपटारा करना है। उनको पूरी छुट है कि बह जितने जजों को चाहें रख सकते हैं, ज़ितना चाहें रख सकते हैं दूसरे लोगों को जैसे मैंने कहा कि वकील की रङकर कर सकते हैं, जितनी जल्दी कर दें उनकी स्बेच्छा है। वह जितनी चाहें हम सहायता देते हैं और सब सरह से मदद करते हैं। इनके काम में कहीं रुकावट हम लोगों की ग्रोर से नहीं है बल्कि जैसा मातनीय सदस्य ने श्रभी कहा है, हम लोगों को भावता भी यही है कि जितनी जरूदों से अन्दी हो सके इस काम की करें लेकिन उनके काम में किसी प्रकार का हम इंटरिकपरेंस नहीं करना चाहते ताकि उनको जो अधिकार दिया गया है, उसमें उनको कोई ऐसराइ न हो। हम इस काम में काफी सर्दक्ष हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बहुत मामले में सलाह लेनी पड़ती है, उनकी सलाह मानकर के मार्ग बक्ते हैं। जिलस का सवाल उनके बिना नहीं हो सकता है, जो जजिस ट्रांसकर हो गए हैं, उनको भी रखन का अधिकार उन्हें नहीं, वह चीक अस्टिस ही करेंगे। इसके ग्रलावा जो सात साल के एक्सपीरिएंस्ड दकीलों को रखना है, उसका भी परमिशन वही देंगे।. , (इस्टब्यान)

भी रक्षनी रंजन साहु: यह सथ कटिनाइयां तो अध्यक्ष महोदय हैं लेकिन केन्द्र सरकार का इसमें क्या रोल है, इसको क्या भूमिका है, कैसे इसका निबटारा करेगी, इसके बारे में कुछ बतायेंगे, कोई निज्जित अबिध देंमें—5 साल, 10 साल, 20 साल? केन्द्र सरकार की कोई भूमिका तो होनी चाहिए या अगर कोई भूमिका नहीं है तो बता दें कि कोई भिमका नहीं है।

थी राम लखन सिंह यादव : माननीय सवस्य का संभक्षाः यह विकार गलन है कि 10 साल, 20 सत्त्र या 50 साल इसमें लगेगा। स्टयं जो काम कर रहे हैं, वे उस कठिनाई को जानते हैं, जो नहीं करते हैं वे उस कटियाई को महसूत नहीं करते हैं। जिस तरह क ग्राज कम्प्लोकंगन्स पैदा हुए हैं श्रीर जिस तरह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई हैं, उसके लिए तीन सःः की श्रवधि उन्होंने अब तक कहा है कि हम कर देंगे और तंग साल के अंदर में ही जितनी जल्दी यह काम हो सके उनके लिए पुरी सहायता हम करने को तैयार है और कर रहे हैं। हम रोज उस पर नजर[े] रखते हैं। इसके ग्रन्थावा माननीय सदस्य वहां के हमारे पत्रीरी जी है या माननीया सदस्या हैं या और भारतीय सदस्य जो हैं, अगर वे चाहें और इसमें हमें और सहायता करें या सहिल्यत का रास्ता वतायें कि किय रास्ते से चलकः जल्दी हो सकता है तो उसपे भी हम जाभ उठावेंगे।

श्री मुरेश प्रश्नेरी : एक मीटिंग बुला लॉकिए लॉक्स एम. पीक की ।

श्रो राम लखन सिंह श्राहव : माननीय सदस्य न कहा है कि , लोकल एम.पी.ज की बैटक बुका लीजिए, में बुका लूंगा।

*263. {.'tIw Questioners (Shri Ye rr a Narayanuswamy and Shri V. Hanumantha Rao) were absent For answer vide Col. . .infra.}

*264. [The Questioners (Shri Janardan Yadav and Shri Trilokinath Chatnrvedi) were absent. For answer Vide Cot... infra,]

*265. {The Questioner (Shri K. R. Malkani) was absent. For answer vide col...... infra)

Tiring on trespassers on Defence establishments

*266. SHRI G. PRATHAPA REDDY: DR. SHRIKANT RAMCHAN-I DRA JICHKAR:†

Will the PRIME MINISTER he plecel to state:

(a) how many instances of firing byDefence personnel on trespassers onfloor of the House by Dr. Shrikant

^{†-}The Question was actually asked on Ram Chandra Jichkar.